



कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)  
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/470

जबलपुर, दि. 10 FEB 2020

**आदेश**

म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-4-91/2013/2/पचपन दिनांक 05.07.2014 एवं कंपनी के आदेश क्रमांक का.नि.(मा.संसा.एवं प्रशा.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/1372-73 दिनांक 21.04.2016, क्र. 896-97 दि. 04.03.2017 एवं क्र. 1602-03 दिनांक 24.04.2018 एवं क्र. 1951-52 दिनांक 27.05.2019 के अनुक्रम में व्होकाई हॉस्पिटल, नागपुर को पंच जल विद्युत गृह, तोतलाडोह में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को म.प्र.शासन के आदेश में वर्णित शर्तों एवं दरों पर बाह्य रोगी चिकित्सा (ओ.पी.डी.) एवं अंतः रोगी चिकित्सा (आई.पी.डी.) जांच/उपचार के लिए दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा हेतु आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

आदेशानुसार

(ए.के. नेमा)

मुख्य अभि. (मा.संसा.एवं प्रशा.)  
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर


पृ.क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/471

जबलपुर, दि. 10 FEB 2020

प्रतिलिपि : -

- 1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
- 2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि./म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि./म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
- 4- मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
- 5- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 6- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
- 7- अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा), पंच जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. तोतलाडोह की टीप क्रमांक 80 दिनांक 12.12.2019 के परिप्रेक्ष्य में कृपया संबंधित कार्मिकों एवं उनके परिवार के आश्रितों के चिकित्सा परिचय पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।

- 9- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., सारनी की टीप क्र. 2683 दिनांक 17.01.2020 के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।
- 10- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 11- सहायक अभियंता (आई.टी), कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 12- संचालक, व्होकार्ड हॉस्पिटल, नागपुर ।  
-कृपया म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार के दौरान समुचित समन्वय हेतु नोडल अधिकारी/चिकित्सक को अधिकृत कर, तत्संबंध में कंपनी को तत्काल सूचित करें ।



(एस.के. देशपाण्डे)

अति.मुख्य अभियंता-एक  
कार्या.मुख्य अभि.(मा.संसा.एवं प्रशा.)  
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर